



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102021-230292
CG-MH-E-09102021-230292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943

No. 446]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 सितम्बर, 2021

सं. टीएमपी/34/2021-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास के माध्यम से कुद्रेमुख ऑयरन और कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा जेटी सं. 8 से लौह अयस्क फाइन्स सहित केआईओसीएल कार्गो के नौभरण हेतु घाटशुल्क प्रभार निर्धारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/34/2021-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितंबर, 2021 के 15 वें दिन पारित)

यह मामला वर्ष 2019-20 के दौरान न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के माध्यम से कुद्रेमुख ऑयरन और कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा जेटी सं. 8 से लौह अयस्क फाइन्स सहित केआईओसीएल कार्गो के नौभरण हेतु अंतिम घाटशुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 09 जून 2021 से संबंधित है।

2. एनएमपीटी के माध्यम से केआईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं हेतु घाटशुल्क दर सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच 27 मई 1992 को हुई अंतर-सचिवीय बैठक में निर्णीत कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ में वार्षिक गणना की गई है। तदनुसार, निम्नलिखित घटक एनएमपीटी से केआईओसीएल की लौह अयस्क अथवा गुट्टिकाओं के नौभरण के लिए घाटशुल्क की गणना हेतु शामिल किए गए हैं:-

- (i). यातायात विभाग के परिचालन व्यय की हिस्सेदारी
- (ii). प्रहस्ति यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय
- (iii). मूल्यहास
- (iv). प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्ययों की हिस्सेदारी
- (v). पूंजी पर ब्याज
- (vi). 6 प्रतिशत की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ

3. वर्ष 2019-20 के दौरान केआईओसीएल द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क फाइन्स सहित केआईओसीएल कार्गो के लिए रु. 38.95 प्रति मी.ट. की घाटशुल्क दर के निर्धारण हेतु प्रस्ताव अंतर-सचिवीय बैठक में सहमत कार्यपद्धति का अनुसरण करता है। एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019-20 के लिए घाटशुल्क की गणना का विवरण केआईओसीएल द्वारा स्वीकृत किया गया है और केआईओसीएल के सहमति पत्र सं. केआईओसीएल/एफएसी/एमआर दिनांक 29 मार्च 2021 की प्रति भी इसके प्रस्ताव के साथ एनएमपीटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी।

4. चूंकि दोनों पक्षों ने उनके बीच परस्पर परामर्श की कार्यवाही कर ली है और उनके बीच हुआ पत्राचार दोनों पक्षों के मत दर्शाता है, इसलिए इस मामले में अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं समझी गई है।

5. प्रस्तावित घाटशुल्क सहमत कार्यपद्धति पर आधारित है। चूंकि दोनों पक्ष प्रस्तावित घाटशुल्क दर से सहमत हैं, इसलिए यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित दर अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

6. तदनुसार, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से वर्ष 2019-20 के दौरान एनएमपीटी की जेट्टी सं. 8 में केआईओसीएल द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क फाइन्स सहित केआईओसीएल कार्गो के लिए प्रस्तावित घाटशुल्क दर रु. 38.95 प्र.मि.ट. अनुमोदित करता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 305 / 2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 17th September 2021

No. TAMP/34/2021-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the wharfage charge for shipment of Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) cargo including iron ore fines from Jetty No.8 by the KIOCL through the New Mangalore Port Trust during year 2019-20 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/34/2021-NMPT

New Mangalore Port Trust

...

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case relates to the proposal dated 09 June 2021 received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of final wharfage charge for shipment of Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) cargo including iron ore fines from Jetty No.8 by the KIOCL through the NMPT during year 2019-20.

2. The wharfage rate for the iron ore/ pellets exported by the KIOCL through the NMPT is calculated annually with reference to actual expenditure following the methodology decided in the Inter-Secretarial meeting held on 27 May 1992 between the Secretary (Ministry of Surface Transport) and the Secretary (Steel). Accordingly, the following components are included for calculation of wharfage for shipment of iron ore or pellets of KIOCL from NMPT:

- (i). Share of operating expenditure of Traffic Department
- (ii). Dredging expenditure proportionate to the traffic handled
- (iii). Depreciation
- (iv). Share of Management and Administration overheads
- (v). Interest on Capital
- (vi). Return on Capital @ 6%

3. The proposal for fixation of wharfage rate of ₹38.95 per MT for KIOCL cargo including iron ore fines exported by KIOCL during the year 2019-20, follows the methodology agreed in the inter-Secretarial meeting. The statement of calculation of wharfage for the year 2019-20 submitted by NMPT has been accepted by KIOCL and a copy of the consent letter No.KIOCL/FAC/MR dated 29 March 2021 of KIOCL is also made available by NMPT along with its proposal.

4. Since both the parties have undergone the process of mutual consultation between them and the correspondence exchanged between them reflects the views of both the parties, a separate hearing in this case is not considered necessary.

5. The proposed wharfage rate is based on agreed methodology. Since both the parties have agreed to the proposed wharfage rate, this Authority is inclined to approve the rate proposed by the NMPT.

6. Accordingly, based on a collective application of mind, this Authority approves the proposed wharfage rate for KIOCL cargo including iron ore fines exported by the KIOCL at Jetty No.8 of the NMPT during the year 2019-20 from New Mangalore Port at ₹38.95 PMT.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./305/2021-22]